

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा०म० नावादा-06/2013 (6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / /2014
सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-02.01.2014 के मद संख्या-10 में दी गई स्वीकृति के आलोक में नवादा जिलान्तर्गत पकरीबरावाँ अंचल के मौजा-पकरीबराँवा, थाना सं०-45, खाता सं०-2616, खेसरा सं०-10767, रकबा-1.00 (एक) एकड़, किस्म पुरानी परती, अनावाद बिहार सरकार भूमि, बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को निःशुल्क, स्थायी एवं अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०-6/खा०म० नावादा-06/2013

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / /2014

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, नावादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या-01/2012-13 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०-6/खा०म० नावादा-06/2013

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / /2014

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को उनके कार्यालय पत्रांक-2288/रा० दिनांक-05.09.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

कृ०प०३३०